न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 101/2022 **दायर दिनांकः 11.07.2022**

उनवान

1. केदारबाई उर्फ केसरबाई आयु 60 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि बुद्धराज जाति मीणा निवासी बमोरी हाल खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा
प्रतिवादी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 30.06.2025

वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 61 के ख0नं0 227 रकबा 1.78 है०, ख0नं0 582 रकबा 0.10 है० कुल 2 किता का कुल रकबा 1.88 है० आराजी वादिया के हिस्सा 1/3 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादिया का नाम केसरबाई पुत्री भैरूलाल जाति मीना निवासी बमोरी दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादिया के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, व माल बमोरी के दूसरे खाता संख्या 53 के ख0नं0 1096/475 रकबा 0.01 है०. ख0नं0 475 रकबा 0. 05 है० कुल 2 किता का कुल रकबा 0.06 है० में वादिया का नाम केदारबाई पुत्री भैरूलाल जाति मीना निवासी बमोरी दर्ज हैं। जो वादिया का सही नाम हैं। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, की फोटो प्रतिया व ग्राम पंचायत खुरी का सरपंच प्रमाण पत्र तथा नकल जनाबबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादिया को विरासत में प्राप्त हुई हैं। जिसका फोती नामान्तरण दर्ज करवाते समय वादिया का बोलता नाम

केसरबाई पुत्री भैरूलाल दर्ज करवा दिया था जो वादिया का गलत नाम हैं। जबकि वादिया का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित दस्तावेजो व जमाबन्दी मे दर्ज नाम केदारबाई पुत्री भैरूलाल मीना दर्ज हैं। जो वादिया का सही नाम हैं। जबकि केदारबाई पुत्री भैरूलाल व केसरबाई पुत्री भैरूलाल दोनो नाम एक ही महिला के हैं। वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी पर वादिया का गलत नाम केसरबाई पुत्री भैरूलाल दर्ज होने व सरकारी दस्तावेजों में वादिया का नाम केदारबाई पुत्री भैरूलाल दर्ज होने से वादिया को आराजी का कृषि विकास कार्य करवाने व के.सी. सी. ऋण व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। जिससे वादिया को अपरिमित क्षति हो रही हैं और अपने हक अधिकारो से वंचित होना पड रहा हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम केसरबाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर केदारबाई पुत्री भैरूलाल दर्ज करवाया जाना सम्भव नहीं हैं। यदि वादिया का नाम दुरूस्त कर केसरबाई के स्थान पर सही नाम केदारबाई दर्ज नही किया गया तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी। अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। अस्तु वादिया वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी में केसरबाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर केदारबाई पुत्री भैरूलाल दर्ज करवाने की अधिकारिणी हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 25.06.2022 को प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी का आवेदन करने पर व अन्तिम बार नाम गलत दर्ज होने से आवेदन निरस्त होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद नाम दुरूस्ती का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद ग्रस्त आराजी व पक्षकार तहसील अटरू क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें।

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी में केसरबाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर केदारबाई पुत्री भैरूलाल दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई तथा प्रतिवादी तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/1137 दिनांक 25.04.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बमोरी के खाता संख्या 61 कुल किता 2 का रकबा 1.88 है0 भूमि में प्रार्थिया का नाम केसर बाई पुत्री भेरूलाल दर्ज जाति मीना शामलाती खाते में दर्ज है। जबकि ग्राम बमोरी खाता संख्या 53 कुल किता 2 का रकबा 0.06 है0 भूमि में प्रार्थिया का नाम केदार बाई पुत्री भैरूलाल जाति मीना शामलाती खाते में दर्ज है। खाता संख्या 61 में नाम केसर बाई सम्वत 2054—2057 की जमाबन्दी से ही दर्ज चला आ रहा है।

साक्ष्यवादी के तहत Pw1 केदार बाई उर्फ केसर बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी बुद्वराज जाति मीणा निवासी बमोरी हाल खुरी तहसील अटरू व Pw2 नटी बाई पुत्री भैरूलाल पत्नी शिवकरण जाति मीणा निवासी बमोरी हाल बामली तहसील बारां के शपथ पत्र पेश किए गए।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम व माल बमोरी जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के अनुसार खाता संख्या नया 61 पुराना 52 के ख0नं0 227 का रकबा 227 का रकबा 1.78 है0 व ख0नं0 582 का रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.88 है0 आराजी केला बाई पत्नी स्व0 भैरूलाल, केसर बाई पुत्री भैरूलाल व नटी बाई पुत्री भैरूलाल के दर्ज खाता स्थित है। जमाबन्दी ग्राम व माल बमोरी जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 के अनुसार खाता संख्या नया 53 पुराना 42 कुल किता 2 का रकबा 0.06 है0 आराजी में भैरूलाल की पुत्रियों के नाम केदार बाई पुत्री भैरूलाल व नटीबाई पुत्री भैरूलाल सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार अनुसार ग्राम बमोरी के खाता संख्या 61 कुल किता 2 का रकबा 1.88 है0 भूमि में प्रार्थिया का नाम केसर बाई पुत्री भेरूलाल दर्ज जाति मीना शामलाती खाते में दर्ज है। जबकि ग्राम बमोरी खाता संख्या 53 कुल किता 2 का रकबा 0.06 है0 भूमि में प्रार्थिया का नाम केदार बाई पुत्री भैरूलाल जाति मीना शामलाती खाते में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत खुरी प्रमाण पत्र दिनांक 27.09.2021 का अवलोकन किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत खुरी प्रमाण पत्र दिनांक 27.09.2021 के

अनुसार केदार बाई व केसर बाई दोनो एक ही महिला के नाम है तथा वादिया की सगी बहिन नटी बाई ने भी केसर बाई का सही नाम केदार बाई होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, साक्ष्य गवाहों व तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल बमोरी, पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 61 के ख0नं0 227 रकबा 1.78 है० व ख0नं0 582 रकबा 0.10 है० कुल 2 किता का कुल रकबा 1.88 है० आराजी में सहखातेदार केसर बाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर केदार बाई उर्फ केसर बाई पुत्री भैरूलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर वादिया का वादपत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>-:क्रियात्मक आदेश:-</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल बमोरी, पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 61 के ख0नं0 227 रकबा 1.78 है० व ख0नं0 582 रकबा 0.10 है० कुल 2 किता का कुल रकबा 1.88 है० आराजी में सहखातेदार केसर बाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर केदार बाई उर्फ केसर बाई पुत्री भैरूलाल दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
<u>बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)</u>

प्रकरण सं0 101/2022 **दायर दिनांकः 11.07.2022**

उनवान

1. केदारबाई उर्फ केसरबाई आयु 60 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि बुद्धराज जाति मीणा निवासी बमोरी हाल खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :–
वादीगणः–   विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा

मिनजानित मुदई रूबरू ....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बमोरी, पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 61 के ख0नं0 227 रकबा 1.78 है० व ख0नं0 582 रकबा 0.10 है० कुल 2 किता का कुल रकबा 1.88 है० आराजी में सहखातेदार केसर बाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर केदार बाई उर्फ केसर बाई पुत्री भैरूलाल दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग.............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)